भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 180B/2017-18

कालीचरण महतो बनाम अनीता महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-02-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 180 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता कालीचरण महतो पिता स्व0 ओपीनाथ महतो, ग्राम–पोड़ाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने गृह मरम्मति एवं हल–बैल खरीदने हेतु क्रेता अनीता महतो पति हीरालाल महतो, ग्राम–कदमडीहा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
पोड़ाडीह	259	1	438	5डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। बिक्रेता के पास 2.38½ एकड़ भूमि है, जिसमें से 5 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.33½ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 5डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner